FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ... मुकाम ...

खेमाराम [illegible] बनाम कुम्भाराम [illegible]

किस्म मुकदमा ना० आर 111,128 RLR Act — नं. 1142 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.5.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेमाराम [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28.5.19 को पेश हो।	
28.5.19	प्रार्थी अधिवक्ता उप० | विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल अदमतामिल अप्राप्त श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दि० 12/6/19 को पेश हो।	
12.6.19	प्रार्थी वकील उप० | विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया | श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आइंदा दि० 20/08/2019 को पेश हो	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

20.8.19 प्रार्थी वकील उप० । श्रीमान पीठासीन अधिकारी दोपहर दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली 30/12/19 को पेश हो ।

30.12.19 प्रार्थी वकील उप० । श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश में पधारे होने से पत्रावली दि० 10/2/2020 को पेश हो ।

10/2/20 प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित । न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से.से. आए हुए हैं तथा दोनों पक्षकारों के खेतों के बीच मुरली मार्ग एवं कच्चा बने हुए हैं लेकिन आंधियाँ चलने से बिखर गये हैं । जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं रहा है । इस कारण विप्रार्थीगण वर्षात होने पर प्रार्थी के खेत में काश्त कर लेते हैं जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाजा बना रहता है । जिस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की पक्की नेखमबंदी करवाना आवश्यक है । इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार कर नेखमबंदी आदेश किया जावें ।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार-गिड़ा को कमीशनर एवं सम्बन्धित भू. अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशन शुल्क जमा कराकर करें । पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो । पत्रावली फैसल शुमार हो फर्नीचर से का हो, दाखिल दफ्तर हो ।

[signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) बायतु

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 97 दिनांकः— 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खरथाराम पुत्र धनाराम वगैरा जाति जाट निवासी पीथोणियों की ढ़ाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. मुलाराम पुत्र देराजराम वगैरा निवासी पीथोणियों की ढ़ाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 142 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पीथोणियों की ढ़ाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 562, 623 रकबा 162.02, 140.06 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

विवेक व्यास 10.2.2020
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 98-102 दिनांकः— 12/2/2020

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खरथाराम
4. विप्रार्थीगण श्री मुलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

विवेक व्यास 10.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested